



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

फा. सं. 220346/आईसीएमआर/प्रशिक्षण/2025/एजेएनआईएफएम

दिनांक: 12.05.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद में परिषद के नव-नियुक्त लेखा अधिकारियों और प्रशासन अधिकारियों के लिए प्रारंभिक (इंडक्शन) प्रशिक्षण कार्यक्रम।

परिषद के सक्षम प्राधिकारी ने परिषद मुख्यालय/संस्थानों/केंद्रों के नव-नियुक्त लेखा अधिकारियों और प्रशासन अधिकारियों के लिए, फरीदाबाद स्थित अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) में तीन सप्ताह के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वीकृति दी है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 मई, 2026 से 5 जून, 2026 (तीन सप्ताह) तक निर्धारित है।

सभी प्रतिभागियों को एजेएनआईएफएम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता है। वे 17 मई 2026 को एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद में रिपोर्ट करेंगे और कार्यक्रम के समापन के बाद 6 जून 2026 को चेक-आउट करेंगे।

प्रतिभागियों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम	संस्थान/केंद्र/मुख्यालय	पदनाम
1.	श्री रवि कुमार खरवाल	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
2.	श्री रवि शंकर मीना	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
3.	श्री राकेश कुमार	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
4.	श्री दीपेश भारद्वाज	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
5.	श्री यश भारद्वाज	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
6.	श्री चमनजीत सिंह यादव	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
7.	सुश्री प्रिया	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
8.	श्री श्रेनिक जैन Shri Shrenik Jain	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
9.	श्री पारस त्यागी	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
10.	श्री अभिषेक सराफ	परिषद मुख्यालय	प्रशासन अधिकारी
11.	श्री जितेंद्र अरोड़ा	परिषद मुख्यालय	लेखा अधिकारी
12.	श्री विनय कुमार दवे	परिषद मुख्यालय	लेखा अधिकारी
13.	श्री सुनित कुमार दर्जी Shri Sunit Kumar Darjee	परिषद मुख्यालय	लेखा अधिकारी
14.	सुश्री सुनीता कुमारी भामु Ms. Sunita Kumari Bhamu	परिषद मुख्यालय	लेखा अधिकारी
15.	श्री सतीश चौहान	परिषद मुख्यालय	लेखा अधिकारी
16.	श्री राजेश कुमार	आईसीएमआर एनआईसीपीआर, नोएडा	लेखा अधिकारी
17.	श्रीमती संध्या शर्मा	आईसीएमआर एनआईओएचआर, अहमदाबाद	लेखा अधिकारी

18.	श्री बाला नारायण वाई. Shri Bala Narayan Y.	आईसीएमआर एनआईपीसीआर, हैदराबाद	लेखा अधिकारी
19.	श्रीमती टी. शीला	आईसीएमआर एनआईआरटी, चैन्नई	लेखा अधिकारी
20.	श्री पी. के. चवन Shri P. K. Chavan	आईसीएमआर एनआईआरडब्ल्यूओएच, मुंबई	प्रशासन अधिकारी
21.	श्री आर. सेंथिलनाथन Shri. R. Senthilnathan	आईसीएमआर एनआईटीएम, बेलगावी	प्रशासन अधिकारी
22.	श्री डी. वी. मुनेश्वर Shri D.V. Muneshwar	आईसीएमआर एनआईवी, पुणे	लेखा अधिकारी
23.	श्री सी. पोन्नसामी Shri C. Pnnusamy	आईसीएमआर एनआईवीसीआर, पुडुचेरी	लेखा अधिकारी
24.	श्रीमती सी. सकिला सतीस Smt. C. Sakila Satis	आईसीएमआर विसीआरसी, पुडुचेरी	प्रशासन अधिकारी
25.	श्री विकास कुमार	आईसीएमआर आरएमआरआईएमएस पटना एवं आईसीएमआर आरएमआरसी, गोरखपुर	प्रशासन अधिकारी
26.	सुश्री जे. सुगुना Ms. J. Suguna	आईसीएमआर एनआईआरटीएच, जबलपुर	लेखा अधिकारी
27.	श्री कांता अभिषेक	-	प्रशासन अधिकारी
28.	श्री धीरज	-	प्रशासन अधिकारी
29.	श्री प्रियांशु श्रीवास्तव	-	प्रशासन अधिकारी
30.	श्री सागर खंडेलवाल	-	लेखा अधिकारी

सभी संबंधित संस्थानों/केन्द्रों/मुख्यालय से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अधिकारियों को इयूटी से कार्य-मुक्त करें, ताकि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकें।

सभी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण अवधि के दौरान एजेएनआईएफएम परिसर में रहना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रतिभागी केवल रविवार को अपने घर जा सकते हैं; हालाँकि, उन्हें सोमवार से शनिवार तक पूरे कार्यक्रम की अवधि के दौरान परिसर में वापस आकर वहीं रहना होगा।

प्रतिभागियों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उनसे संबंधित परिषद के संस्थानों/केन्द्रों/मुख्यालय द्वारा, लागू नियमों और पात्रता के अनुसार वहन किया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र में रहने और खाने की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। हालाँकि, यात्रा अवधि के लिए दैनिक भत्ते का दावा नियमों के अनुसार किया जा सकता है। सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से आवासीय परिसर में ही रहना होगा।

-हस्त-
(जगदीश राजेश)
उप महानिदेशक (प्रशा.)

सेवा मे,

(क) सभी प्रतिभागी

(ख) संबंधित संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारी

(ग) सभी प्रभाग-प्रमुख, परिषद मुख्यालय

प्रतिलिपि:-

1. परिषद के महानिदेशक/ अपर महानिदेशक/ वरि. उपमहानिदेशक/ वरि. वित्त सलाहकार के सचिव।
2. उपमहानिदेशक/सहायक महानिदेशक।
3. लेखा अनुभाग।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी/ बिल अनुभाग।
5. एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद।